न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलेक्टर, करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)

पीठासीन अधिकारी :– महीपाल सिंह, आर.ए.एस.
मुकदमा नम्बर 02/2022 राजस्व वाद

1. अर्जुन सिंह पुत्र श्री शंकर सिंह चारण आयु वयस्क निवासी– सेहणून्दा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
2. छोटू सिंह पुत्र श्री शंकर सिंह चारण आयु वयस्क निवासी– सेहणून्दा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
3. श्रीमती नन्द कंवर पत्नी श्री शंकर सिंह चारण आयु वयस्क निवासी– सेहणून्दा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
4. समरथ सिंह पुत्र श्री शंकर सिंह चारण आयु वयस्क निवासी– सेहणून्दा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0) —— वादीगण

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब, करेड़ा जिला भीलवाडा (राज0)
—— प्रतिवादी

वादपत्र बाबत घौषणा, इन्द्राज दुरूस्ती
वादपत्र अन्तर्गत धारा– 88, 89,92–क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित :–
1. श्री मुकेश कुमार जैन —अधिवक्ता वादी
2. पेरोकार सरकार ——प्रतिवादी

:: निर्णय ::

दिनांक– 07/02/2022

प्रकरण के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने एक वादपत्र अन्तर्गत धारा 88–89,92–क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम बाबत घोषणा, इन्द्राज दुरूस्ती का इस आशय का पेश किया कि सरहद सेहणून्दा पटवार हल्का सेहणून्दा भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र चिताम्बा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0) मे आराजी नम्बर 163 रकबा 0.7588 हैक्टयर, आराजी नम्बर 237 रकबा 0.1265 हैक्टयर, आराजी नम्बर 238 रकबा 0.6070 हैक्टयर भूमि स्थित है। वादपत्र की चरण संख्या 01 एक मे वर्णित आराजियात मे कोई रास्ता विद्यमान नही है तथा उक्त भूमि वादीगण के खातेदारी हक अधिकार की होकर एक चक के रूप मे कृषि उपयोग उपभोग मे आ रही है, जिसमे आज दिन तक कोई रास्ता के रूप मे उपयोग उपभोग मे नही आयी है। वादीगण द्वारा दिनांक 12 बारह नवम्बर 2021 दो हजार इक्कीस को पटवार हल्का के पास गये व राजस्व रेकार्ड का अवलोकन किया गया तो वादीगण की

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahipal Singh
Date: 2022.02.22 17:30:09 IST
Reason: SelfAttested

उपखंड अधिकारी पदेन
सहायक कलक्टर करेड़ा

जानकारी मे आया कि वादपत्र की चरण संख्या 01 एक मे वर्णित आराजियात मे मौके पर कोई रास्ता नही है व न ही रास्ते के रूप मे कोई भूमि उपयोग उपभोग मे आ रही है, लेकिन राजस्व कर्मचारीयो की लापरवाही पूर्वक आराजी नम्बर 163 रकबा 0.7588 हैक्टयर मे से 0.1012 हैक्टयर एवं आराजी नम्बर 237 रकबा 0.1265 हैक्टयर मे से 0.0127 हैक्टयर, आराजी नम्बर 238 रकबा 0.6070 हैक्टयर मे से 0. 0126 हैक्टयर भूमि को रास्ते के रूप मे अभिलिखित कर दी, जबकि उक्त आराजी नम्बर जो कि आराजी की किस्म अनुसार ही मौके पर उपयोग उपभोग चली आ रही है। उक्त आराजियात मे से कुछ रकबा जो कि रास्ते के रूप मे रेकार्ड मे दर्ज होने से वादीगण को अपनी आराजियात को विकसित करने मे काफी परेशानीयो का सामना करना पड रहा है व वादीगण के वैध हक अधिकारो का हनन हो रहा है। वादीगण द्वारा उक्त गलत इन्द्राज की जानकारी होने पर वादीगण द्वारा प्रतिवादी के समक्ष उपस्थित होकर राजस्व रेकार्ड से किस्म गै.मु. रास्ता को हटाया जाने हेतु निवेदन किया ,लेकिन प्रतिवादी द्वारा बार बार जांच करवाकर बदल देने का आश्वासन दिया गया, लेकिन प्रतिवादी द्वारा किस्म को दुरूस्त नही की गयी व दिनांक 28 अठाईस दिसम्बर 2021 दो हजार इक्कीस को निवेदन करने पर साफ तौर इंकार कर सक्षम न्यायालय मे चाराजोही कर दुरूस्ती कराने की हिदायत दी। सरहद सेहणून्दा पटवार हल्का सेहणून्दा भू अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र चिताम्बा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा की आराजी नम्बर 163 रकबा 0.7588 हैक्टयर मे से 0.1012 हैक्टयर एवं आराजी नम्बर 237 रकबा 0.1265 हैक्टयर मे से 0.0127 हैक्टयर, आराजी नम्बर 238 रकबा 0.6070 हैक्टयर मे से 0.0126 हैक्टयर जो कि गै.मु. रास्ता गलत रूप से अभिलिखित है, वादीगण राजस्व रेकार्ड मे इन्द्राज दुरूस्ती करा, उक्त आराजियात के राजस्व रेकार्ड से गै.मु. रास्ता को विलोपित करा, आराजी नम्बर 163 रकबा 0.7588 हैक्टयर किस्म बंजड़ एवं आराज[illegible]237 रकबा 0.1265 हैक्टयर किस्म बारानी उत्तम, आराजी नम्बर 238 [illegible] किस्म बंजड़ के रूप मे दर्ज करायी जाने की घौषणात्मक डिकी बहक [illegible]दीगण विरूद्व प्रतिवादी सादिर फरमायी जाना न्यायोचित एवं आवश्यक है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahipal Singh
Date: 2023.02.22 17:30:09 IST
Reason: SelfAttested

उपखंड अधिकारी पदेन
सहायक कलक्टर करेड़ा

उक्त प्रकरण को दर्ज रजिस्टर किया गया व प्रतिवादी को सम्मन नोटिस जारी किये गये व प्रतिवादी की ओर से जवाब पेश किया गया व मौका रिपोर्ट पेश की गयी। मामले मे निम्न विवाद्यक कायम किये गये :–

1. कि आया वादी सरहद सेहणून्दा पटवार हल्का सेहणून्दा भू अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र चिताम्बा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा की आराजी नम्बर 163 रकबा 0.7588 हैक्टयर मे से 0.1012 हैक्टयर एवं आराजी नम्बर 237 रकबा 0.1265 हैक्टयर मे से 0.0127 हैक्टयर, आराजी नम्बर 238 रकबा 0.6070 हैक्टयर मे से 0.0126 हैक्टयर जो कि गै.मु. रास्ता गलत रूप अभिलिखित होने से वादी राजस्व रेकार्ड मे गै.मु. रास्ता को हटा, भूमि की किस्म दर्ज करवाने के अधिकारी है ? ——बजिम्मे वादी

2. आया प्रतिवादी द्वारा जवाब दावे मे उठाये गये एतराजो के आधार पर वादी का वाद चलने योग्य नही है ? —— बजिम्मे प्रतिवादी

3. अनुतोष–

प्रकरण मे वादी की ओर से जमाबंदी की नकल दस्तावेजात पेश किये गये, वादी की साक्ष्य स्वरूप वादी का शपथपत्र व स्वतंत्र गवाह के शपथपत्र पेश किये गये। वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य से एवं मौका पर्चा रिपोर्ट से भूमि राजस्व रेकार्ड मे गै.मु रास्ता दर्ज होना व मौके पर रास्ते के रूप मे उपयोग मे नही आकर एक ही चक के रूप मे उपयोग मे आना साबित है व सभी आराजी मे रास्ता दर्ज होने से उक्त भूमि के उपयोग उपभोग मे भी व्यवधान पैदा होकर वादीगण के हक अधिकारो पर विपरीत प्रभाव पड रहा है। जो वादीगण की साक्ष्य से साबित है तथा विवाद्यक संख्या 01 वादी के पक्ष मे एंव प्रतिवादी के विरूद्व निर्णित किया जाता है।

विवाद्यक संख्या 01 वादी के पक्ष मे सिद्व होने से विवाद्वक संख्या 02 भी वादी के पक्ष मे सिद्व माने जाते है।

वादीगण के अधिवक्ता की बहस सुनी गयी। प्रकरण मे उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया व अधिवक्ता वादीगण द्वारा अपने वादपत्र मे वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए वादीगण की भूमि मे गै.मु. रास्ता की जगह मूल आराजी की किस्म दर्ज कराने हेतु निवेदन किया गया।

मैने पक्षकारान के अधिवक्ता की बहस सुनी। पत्रावली पर उपलब्ध सामग्री का अवलोकन किया , वादीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात मे वादीगण की सरहद सेहणून्दा पटवार हल्का सेहणून्दा भू अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र चिताम्बा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा की आराजी नम्बर 163 रकबा 0.7588 हैक्टयर मे से 0.1012 हैक्टयर एवं आराजी नम्बर 237 रकबा 0.1265 हैक्टयर मे से 0.0127 हैक्टयर, आराजी नम्बर 238 रकबा 0.6070 हैक्टयर मे से 0.0126 हैक्टयर जो कि गै.मु. रास्ता गलत रूप से अभिलिखित है, वादीगण राजस्व रेकार्ड मे इन्द्राज दुरूस्ती करा, उक्त आराजियात के राजस्व रेकार्ड से गै.मु. रास्ता को विलोपित करा, आराजी नम्बर 163 रकबा 0.7588 हैक्टयर किस्म बंजड़ एवं आराजी नम्बर 237 रकबा 0.1265 हैक्टयर किस्म बारानी उत्तम, आराजी नम्बर 238 रकबा 0.6070 हैक्टयर किस्म बंजड़ दर्ज करायी

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahipal Singh
Date: 2023.02.22 17:30:09 IST
Reason: SelfAttested

उपखंड अधिकारी पदेन
सहायक कलक्टर करेड़ा

जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादीगण का वादपत्र स्वीकार योग्य ठहरता है। अत एव

:: आदेश ::

वादीगण का वादपत्र स्वीकार कर सरहद सेहणून्दा पटवार हल्का सेहणून्दा भू अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र चिताम्बा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा की आराजी नम्बर 163 रकबा 0.7588 हैक्टयर मे से 0.1012 हैक्टयर एवं आराजी नम्बर 237 रकबा 0.1265 हैक्टयर मे से 0.0127 हैक्टयर, आराजी नम्बर 238 रकबा 0.6070 हैक्टयर मे से 0.0126 हैक्टयर जो कि प्रार्थीगण की खातेदारी हक् अधिकार से खाता सं० 218 मे गलत रूप से किस्म गै.मु. रास्ता अभिलिखित है, वादीगण राजस्व रेकार्ड मे इन्द्राज दुरूस्ती करा, उक्त आराजियात के राजस्व रेकार्ड से गै.मु. रास्ता को विलोपित करा, आराजी नम्बर 163 रकबा 0.7588 हैक्टयर किस्म बंजड़ एवं आराजी नम्बर 237 रकबा 0.1265 हैक्टयर किस्म बारानी उत्तम, आराजी नम्बर 238 रकबा 0.6070 हैक्टयर किस्म बंजड़ के रूप मे राजस्व रेकार्ड मे दर्ज कराया का आदेश वादीगण के पक्ष मे एंव प्रतिवादी के विरूद्व जारी किया जाता है व साथ ही राजस्व नक्शे मे उक्त आराजियात मे डॉटेड लाईन दर्शा रखी है, उसे भी हटाया/विलोपित की जावे। इस आदेश की पालना मे तहसीलदार, करेड़ा को तहरीर जारी कर पालना सुनिश्चित करायी जावें।

उक्त निर्णय खुले न्यायालय मे सुनाया गया। उत्तानुसार डिक्री जारी करे। फरिकेन खर्चा अपना अपना वहन करे। पत्रावली फैशल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

उपखण्ड (महीपाल सिंह) पदेन
सहायक आर.ए.एस. करेड़ा
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर,
करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)

Signature Not Verified

Digitally signed by Mahipal Singh
Date: 2023.02.22 17:30:09 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय : उपखण्ड़ अधिकारी करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)

:: मूल वाद मे डिक्री ::
(आदेश 20 नियम 6–7 जा0दी0)

पीठासीन अधिकारी :– महीपाल सिंह, आर.ए.एस.
मुकदमा नम्बर 02/2022 राजस्व वाद

1. अर्जुन सिंह पुत्र श्री शंकर सिंह चारण आयु वयस्क निवासी– सेहणून्दा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
2. छोटू सिंह पुत्र श्री शंकर सिंह चारण आयु वयस्क निवासी– सेहणून्दा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
3. श्रीमती नन्द कंवर पत्नी श्री शंकर सिंह चारण आयु वयस्क निवासी– सेहणून्दा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
4. समरथ सिंह पुत्र श्री शंकर सिंह चारण आयु वयस्क निवासी– सेहणून्दा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0) —— वादीगण

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब, करेड़ा जिला भीलवाडा (राज0)

—— प्रतिवादी

वादपत्र बाबत घौषणा, इन्द्राज दुरूस्ती
वादपत्र अन्तर्गत धारा– 88, 89,92–क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

———

वादी की ओर से श्री मुकेश कुमार जैन , एडवोकेट और प्रतिवादी की ओर से अनुपस्थित की उपस्थिति मे इस वाद के आज दिनांक 07/02/2022 को न्यायालय के समक्ष अंतिम निपटारे के लिये पेश होने पर आदेश दिया जाता है कि और डिक्री की जाती है कि वादी और इस मद के खर्चे लेखो प्रतिशत रूपयो की राशि आज तारीख से वसूली तारीख तक उस पर प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज सहित द्वारा राशि 0 **शून्य** को दी जायें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahipal Singh
Date: 2023.02.22 17:30:09 IST
Reason: SelfAttested

वादीगण का वादपत्र स्वीकार कर सरहद [illegible] पटवार हल्का सेहणून्दा भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र चिताम्बा तहसील करेड़ा [illegible] की आराजी नम्बर 163 रकबा 0.7588 हैक्टयर मे से 0.1012 हैक्टयर, [illegible] नम्बर 237 रकबा 0.1265 हैक्टयर मे से 0.0127 हैक्टयर, आराजी नम्बर 238 रकबा 0.6070 हैक्टयर मे से 0.0126 हैक्टयर जो कि प्रार्थीगण की खातेदारी हक् अधिकार के खाता सं० 218 मे गलत रूप से किस्म गै.मु. रास्ता अभिलिखित है, वादीगण राजस्व रेकार्ड मे इन्द्राज दुरूस्ती करा, उक्त आराजियात के राजस्व रेकार्ड से गै.मु. रास्ता को विलोपित करा, आराजी नम्बर 163

उपखंड अधिकारी पदेन
सहायक कलेक्टर करेड़ा

रकबा 0.7588 हैक्टयर किस्म बंजड़ एवं आराजी नम्बर 237 रकबा 0.1265 हैक्टयर किस्म बारानी उत्तम, आराजी नम्बर 238 रकबा 0.6070 हैक्टयर किस्म बंजड़ के रूप मे राजस्व रेकार्ड मे दर्ज कराया का आदेश वादीगण के पक्ष मे एंव प्रतिवादी के विरूद्व जारी किया जाता है व साथ ही राजस्व नक्शे मे उक्त आराजियात मे डॉटेड लाईन दर्शा रखी है, उसे भी हटाया/विलोपित की जावे। इस आदेश की पालना मे तहसीलदार, करेड़ा को तहरीर जारी कर पालना सुनिश्चित करायी जावें। इसी अनुसार निर्णय व डिकी की पालना हो। खर्चा फरीकेन अपना– अपना वहन करे।

(महीपाल सिंह)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी,
करेड़ा जिला भीलवाड़ा

उपखण्ड अधिकारी पदेन
सहायक कलेक्टर करेड़ा

आज दिनांक 07/02/2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मोहर से जारी की गयी।

(महीपाल सिंह)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी,
करेड़ा जिला भीलवाड़ा

उपखण्ड अधिकारी पदेन
सहायक कलेक्टर करेड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Mahipal Singh
Date: 2023.02.22 17:30:09 IST
Reason: SelfAttested